

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
2016 का आपराधिक विविध मामला संख्या 32735

थाना कांड संख्या-463 वर्ष-2015 थाना- बगहा जिला- पश्चिमी चंपारण से उत्पन्न

=====

1. आज़ाद खान, पिता- स्वर्गीय रज़ाक खान, निवासी- मोहल्ला-पुरानी बाज़ार रामनगर, जिला-पश्चिम चंपारण।
2. बबलू खान उर्फ मो. मोतीउल्ला खान, पिता- हकीक खान, निवासी- मोहल्ला-पवारिया तोला, वार्ड संख्या-27, बगहा, थाना-बगहा, जिला-पश्चिम चंपारण।
3. खुश मोहम्मद, पिता- स्वर्गीय अजीम, निवासी- मोहल्ला-मस्तान तोला, वार्ड संख्या-24, बगहा, थाना-बगहा, जिला-पश्चिम चंपारण।
4. शेख राजू उर्फ राजू, पिता- मारूफ खान, ग्राम-मुराली, थाना-चौतरवा, जिला-पश्चिम चंपारण।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. मुन्ना खान, पिता- स्वर्गीय माजिद खान, निवासी- मोहल्ला-पवारिया तोला वार्ड संख्या-27, बगहा, थाना-बगहा, जिला-पश्चिम चंपारण।

..... विपरीत दल

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री बख्शी एस. आर. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय के. सिंह नं. 1, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री ललन कुमार, एपीपी
विपरीत पक्ष के लिए नं2	:	श्री बशिष्ठ नारायण मिश्रा, अधिवक्ता

=====

- **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482:** संज्ञान आदेश को निरस्त करने का मामला।

o भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 307, 323, 325, 341 और 504 के तहत

दंडनीय अपराध।

- o चार्जशीट नंबर 145/2016 (तारीख: 13.05.2016) के कॉलम-10 में जब्त सामग्री से जुड़े मुद्दों के लिए संज्ञान आदेश पारित किया गया।
- o संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच के निष्कर्षों से अलग निर्णय लेते समय कोई कारण नहीं दिया, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ताओं को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज घायल गवाहों के बयान उपलब्ध होने के बावजूद दोषमुक्त कर दिया गया था।
- o आलमोहन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1968 एससीसी ऑनलाइन 85 के मामले पर भरोसा करते हुए, संज्ञान आदेश को खारिज किया गया।
- o (पैरा 9 और 10)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख: 15-04-2024

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बक्सी एस.आर.पी. सिन्हा और राज्य के विद्वान ए.पी.पी. श्री ललन कुमार को सुना गया, जिनकी सहायता विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील श्री बशिष्ठ नारायण मिश्रा ने की।

2. वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा बगहा थाना कांड संख्या 463/2015 में विद्वान ए.सी.जे.एम., बगहा, पश्चिम चंपारण द्वारा दिनांक 16.06.2016 को पारित संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धाराओं 147, 149, 307, 323, 325, 341 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला इस मामले के सूचक मुन्ना खान द्वारा दिनांक 15.11.2015 को प्रातः लगभग 8.30 बजे बगहा थाना प्रभारी को दी गई लिखित रिपोर्ट पर

आधारित है, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 15.11.2015 को प्रातः लगभग 5.30 बजे कई व्यक्तियों के शोर मचाने पर वह जाग गया और अपने घर का गेट खोल दिया। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि ये याचिकाकर्ता पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर झोपड़ी बना रहे थे और विरोध करने पर सूचक को कुछ आरोपियों ने पकड़ लिया और लात-घुंसी और थप्पड़ों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर उसके बेटे आरिफ, शानू, जानुस और उसका भतीजा अफरोज उसे बचाने आए और इस पर अफरोज पर आरोपी आजाद खान ने *खंती* से हमला कर दिया और चोट लगने के बाद वह गिर गया। आरोपी सोनू खान और पप्पू खान ने उसके बेटे सानू खान पर *फरसा* से हमला किया। आरोपी बबलू खान और हकीक खान ने सूचक पर *लाठी* से हमला किया। जब सूचक की भाभी सईदा खातून वहां आई तो आरोपी मजरे आलम और राजू ने टांगी, मुक्का और *लाठी* से हमला किया। आरोपी खुश मोहम्मद और मोनू खान ने उसके बड़े बेटे आरिफ पर *लाठी*, मुक्का आदि से हमला किया। शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठे हो गए और घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले गए।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने जांच के पश्चात आरोप पत्र संख्या 9/2015 दिनांक 27.01.2016 प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त किया गया, जबकि जांच के दौरान, उक्त आरोप पत्र प्रस्तुत करने से ठीक पहले, सूचक द्वारा विद्वान ए.सी.जे.एम., बगहा के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जांच के दौरान घायल गवाहों की जांच नहीं की गई थी, और इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 161 के तहत उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस मामले के जांच अधिकारी को दिनांक 13.04.2014 के विस्तृत न्यायिक आदेश के माध्यम से धारा 161 के तहत घायल गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया गया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था कि क्यों न उन पर धारा 218, 219 और 221 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए। उक्त आदेश के बाद धारा 161 के तहत घायल गवाहों के बयान दर्ज

करने के लिए पुनः जांच की गई, जिसके लिए दिनांक 13.05.2016 को संख्या 145/2016 के तहत एक और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी याचिकाकर्ताओं को नहीं भेजा गया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में जिस तरह से संज्ञान लिया, वह अनुलग्नक-5 से स्पष्ट है, जो आरोप पत्र संख्या 145/2016 है, जहां कॉलम संख्या 10 में, जो जब्त वस्तुओं के लिए है, 16.06.2016 को सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 307, 323, 325, 341 और 504 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लेने के लिए बहुत ही गुप्त तरीके से एक सामान्य आदेश दिया गया था, जिसे बाद में उसी तारीख को आदेश के रूप में कम कर दिया गया।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह बताया गया है कि जांच के पुलिस निष्कर्षों से भिन्न होकर, जहां याचिकाकर्ताओं को दर्ज करने के बाद भी दोषमुक्त कर दिया गया था। घायल गवाहों के बयान, बिना कोई कारण बताए, विद्वत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुत ही यांत्रिक और गुप्त तरीके से संज्ञान लिया, जो कानून के स्थापित सिद्धांत के खिलाफ है। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने **अलमोहन दास बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी., [1968 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 85]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

6. राज्य के विद्वान एपीपी श्री ललन कुमार ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बशिष्ठ नारायण सिंह की सहायता से आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि संज्ञान लेना विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि है और इस आधार पर संज्ञान के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता।

7. पुलिस द्वारा प्रस्तुत कॉलम 10 में अंतिम प्रपत्र पर विद्वान ए.सी.जे.एम., बगहा द्वारा दिनांक 16.06.2016 को जारी संज्ञान आदेश तथा दिनांक 16.06.2016 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नवत है:-

(FINAL FORM/REPORT)

(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

(In the court of)

1. जिला-प० चंपारण थाना -बगहा वर्ष-2016 प्राथमिकी सं०-463/15 तिथि- 15.11.15

2. अंतिम रिपोर्ट/ आरोप पत्र सं० 145/15 3. तारीख-13.05.16

4. [1] अधिनियम (Act) भा०द०वि० धाराएं (Sections) 147, 149, 341, 323

[2] अधिनियम (Act) धाराएं (Sections) 325, 307, 504

[3] अधिनियम (Act) धाराएं (Sections)

[4] अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Act & Sections).....

5. (अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार:- आरोप पत्र/ साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/
अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/ अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/ अंतिम रिपोर्ट सत्य
अपराध उपसांसित किया गया/ अंतिम रिपोर्ट- नहीं घटित हुई ।

(Type of Final Form/Report:- Charge Sheet/ Not Charge sheeted for want of evidence/FRT
Undetected/ FRT Untraced/ FRT offence abated/ FR Unoccurred)

6. यदि अ०रि० अघटित हो:- मिथ्या/तथ्यों की भूल/विधि की भूल/असंज्ञेय/दीवानी प्रकृति का

(If F.R. Unoccurred: False/Mistake of Fact/Mistake of law/ non-cognizable/Civil Nature.)

7. यदि आरोप पत्र हो तो मूल/अनुपूरक

(In Charge-Sheet-Original/Supplementary)

8. अनुसंधान पदाधिकारी का नाम... राम विलास रमण...पदनाम- पु०अ०नि०

(Name of I.O)

(Rank)

सं०-बगहा थाना

(No.)

9. (क) परिवारी/ सूचनादाता का नाम- मुन्ना खाँ

(ख) पिता का /पति का नाम-स्व० मजीद खाँ, सा० पवरिया टोला वार्ड 27 थाना- बगहा
जिला-प०चंपारण

10. अनुसंधान के दौरान बरामद/ जप्त ऐसी संपत्तियों/ वस्तुओं/ दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो। यदि आवश्यक हो तो अलग से सूची संलग्न की जा सकती है ।

क्रम सं०	संपत्ति	प्राक्कलित मूल्य (रूपये में)	थाना का संपत्ति रजिस्टर सं०	किससे/कहां बरामद या	निपटाव
				जप्त की गयी	
1	2	3	4	5	6
		एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 147,149,307,323, 325, 341 और 504 के तहत कार्रवाई की गई। हस्ताक्षर/- 16/06/2016			

"बगहा थाना संख्या 463/15

ए.सी.जे.एम, बगहा की अदालत में

बगहा थाना मामला संख्या 463/15

राज्य

बनाम

आजाद खान

16.06.16 आरोप पत्र सं० 09/16 दि० 27.01.16 एवं पुरक आरोप पत्र सं० 145/16 दि०

13.05.16 प्राप्त हुआ ।

आरोप पत्र एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अभि० 1. आजाद खान 2. सोनु खान 3. पप्पु खान 4. बब्लु खान 5. मोनू खान 6. हकीक खान 7. मोजरे आलम 8. राजु 9. खुश मोहम्मद के विरुद्ध धारा- 147, 149,307,323,325,341,504 भा० द० वि० के अंतर्गत कारवाई हेतु पर्याप्त

साक्ष्य वाद दैनिकी में उपलब्ध है। इसलिए उपरोक्त 09 अभियुक्त के विरुद्ध धारा 147,149,307,323,325,341,504 भा०द०वि० के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। सभी वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह०/-

अपर मु०न्या०दण्डा०

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक रिपोर्ट के पैरा-9 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जैसा कि अलमोहन दास केस (उपर्युक्त) में पारित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

"9. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209(1) के अंतर्गत आरोप तभी तय किया जा सकता है, जब प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट के दृष्टिकोण से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हों। संहिता की धारा 209 में प्रावधान है:

"जब धारा 208 की उपधारा (1) और (3) में निर्दिष्ट साक्ष्य लिया गया हो, और उसने (यदि आवश्यक हो) अभियुक्त की जांच की हो ताकि वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट कर सके, तो ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि उसे लगता है कि अभियुक्त को मुकदमे के लिए सौंपने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, तो उसके कारणों को दर्ज करेगा और उसे बरी कर देगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट को यह न लगे कि ऐसे व्यक्ति पर उसके या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में वह तदनुसार कार्यवाही करेगा।"

धारा 209 उन मामलों पर लागू होती है जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य आधार पर संस्थित किए जाते हैं। लेकिन उस धारा में अंतर्निहित सिद्धांत उन मामलों पर लागू होता है जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए जाते हैं। जांच करने वाले मजिस्ट्रेट का उद्देश्य केवल रिकॉर्डिंग मशीन के रूप में कार्य करना नहीं है। वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को छानने और तौलने का हकदार है, लेकिन केवल यह देखने के लिए कि क्या प्रतिबद्धता के लिए पर्याप्त सबूत हैं, न कि यह देखने के लिए कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यदि कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है या सबूत पूरी तरह से विश्वास के योग्य नहीं है, तो आरोपी को दोषमुक्त करना उसका कर्तव्य है: यदि कोई सबूत है जिस पर दोषसिद्धि उचित रूप से आधारित हो सकती है, तो उसे मामले को प्रतिबद्ध करना चाहिए। उस स्तर पर मजिस्ट्रेट के पास आरोपी के अपराध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए सबूतों का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है। उस स्तर पर मजिस्ट्रेट के सामने सवाल यह है कि क्या कोई विश्वसनीय सबूत है जो दोषसिद्धि को बनाए रखेगा।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक प्रस्तुतियों के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान आदेश, आरोप-पत्र संख्या 145/2016 दिनांक 13.05.2016 के कॉलम-10 में संज्ञान आदेश का समर्थन करते हुए लिया गया था, जिसका उद्देश्य मामले में घटित घटना से संबंधित जब्ती मर्दों के लिए है। यह भी प्रतीत होता है कि विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के निष्कर्ष से भिन्न टिप्पणी करते समय कोई कारण नहीं बताया गया, विशेषकर, जब याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज घायल गवाहों के बयान की उपलब्धता के बाद भी दोषमुक्त कर दिया गया।

10. तदनुसार, अलमोहन दास केस (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधिक रिपोर्ट का मार्गदर्शन करते हुए तथा ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के मद्देनजर, बगहा थाना कांड संख्या 463/2015 में विद्वान ए.सी.जे.एम., बगहा, पश्चिमी चंपारण द्वारा दिनांक 16.06.2016 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द किया जाता है तथा याचिकाकर्ताओं के संबंध में अपास्त किया जाता है, साथ ही विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच रिपोर्ट से भिन्न तर्क देते हुए विधि के अनुसार नया आदेश पारित करें, ताकि यांत्रिक तथा गूढ़ दृष्टिकोण की छाप से बचा जा सके।

11. आवेदन को पूर्वोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह निर्णय की एक प्रति विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट की अदालत को अविलंब भेजे।

(चंद्र शेखर झा, न्यायाधीश)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।